



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-18092025-266228  
CG-CG-E-18092025-266228

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4084]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 16, 2025/भाद्र 25, 1947

No. 4084]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 16, 2025/BHADRA 25, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 12 सितम्बर, 2025

**का.आ. 4199(अ).**—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेल्वे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20ए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि का, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनूसूची में दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य के नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् नागभिड — नागपूर ब्रॉड गेज परियोजना (106 कि.मी.), महाराष्ट्र निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि का अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् नागपूर जिले के उमरेड, भिवापूर एवं कुही तहसील में स्थित भूमि के लिए उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उमरेड, जिल्हा नागपूर, महाराष्ट्र इस सक्षम प्राधिकारी को लिखित में किया जाएगा। और उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी जाँच करने के पश्चात, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखाकन और अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् नागभिड – नागपूर ब्रॉड गेज परियोजना (106 कि.मी.)

महाराष्ट्र के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण ।

अ. क्र.	भूसंपादन प्रकरण क्रमांक	जिले का नाम	तहसिल का नाम	गाव का नाम	7 / 12 अनुसार भूधारक का नाम	सर्व्हे नं.	भूधारणा पद्धती	7 / 12 अनुसार कुल क्षेत्र (हे. आर)	संपादन क्षेत्र (हे. आर)
1	46 / अ-65 / 2023-2024	नागपूर	उमरेड	परसोडी	केशवराव नारायण चिचघरे	17	1	0.34	0.0330
						कुल		0.34	0.0330

[फा.सं. सी.ए.ओ. / सी.बी.एस.पी. / एम.आर..डी.सी.एल. / नागपुर-नागभीड / नागपुर जिला / 20 क]

आलोक तिवारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

## MINISTRY OF RAILWAYS (SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY)

### NOTIFICATION

Bilaspur, the 12 th Setember, 2025

**S.O. 4199(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) and Railways (Amendment) Act 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which is given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely Nagbhir - Nagpur Gauge Conversion Project (106 K.M.), Maharashtra in the District of Nagpur, Bhandara, Chandrapur in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, Sub Divisional Officer and Land Acquisition Officer, Umred, District Nagpur for land situated in Bhiwapur, Kuhi, Umred Tahsil of Nagpur District, Maharashtra and in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

**SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project namely, Nagbhir - Nagpur Gauge Conversion Project (106 K.M.) Maharashtra with electrification in the District of Nagpur, Bhandara, Chandrapur in the State of Maharashtra.

Sr. No	Land Acquisition Case No.	Name of District	Name of Taluka	Name of Village	Name of Land owner	Survey Number	Land holding method	Total area as per 7/12 (H.R.)	Acquisition Area in (H.R)
1	46/A-65/2023-2024	Nagpur	Umred	Parsodi	Keshavrao Narayan Chichghare	17	1	0.34	0.0330
						Total: -		0.34	0.0330

[F. No. CAO/C/BSP/MRIDCL/NGP-NAB/Nagpur Distt/20 A]

ALOK TIWARI, Chief Administrative Officer (Con.)